

I / निर०-१९७/२०१२/सत्ता/शुद्धा (५६)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल राजालियर, सर्किल कोर्ट रीवा, जिला-
रीवा ₹५०४०/-



₹ 20/- प्रति
पत्ता | ८२

- अधिकारी के द्वारा दिए गए अंकों के साथ*
1- अधोध्या प्रताद पटेल तनय श्री बाबूल पटेल उम ५३ साल, पेशा-
खेती निवासी ग्राम वगरा, पो० महुड़र, तहसील अमरपाटन, जिला -
सतना ₹५०४०/-
---निरानीकृति---

विस्तृत -

- 1- लालजी शुक्ला, वीरों के पिता स्व० श्री शिवमूर्ति प्रसाद
2- प्रह्लाद शुक्ला, वीरों निवासी ग्राम मौहारी कटरा, तह०
3- आदित्य प्रसाद शुक्ला, अमरपाटन, जिला सतना ₹५०४०/-
4- कृष्णदत्त, दो वीरों के पिता चन्द्रोदाहर प्रसाद
5- राम्बुधन, दो वीरों निवासी ग्राम मौहारी कटरा, हाल मुकाम
विपरंवाह कांसा तहसील मैदर, जिला सतना ₹५०४०/-
6- तोमर्की बेवा पत्नी श्री गोमती प्रसाद निवासी मौहारी कटरा
तहसील अमरपाटन, जिला सतना ₹५०४०/-
7- अनूप कुमार, दो वीरों के पिता श्री गोमती प्रसाद
8- अमृज कुमार निवासी मौहारी कटरा, तह० अमरपाटन, जिला सतना
9- रवीन्द्रनाथ तनय स्व० श्री तीताराम शुक्ला निवासी मौहारी कटरा,
तहसील अमरपाटन, जिला सतना ₹५०४०/-
10- अंकार प्रसाद तनय श्री रामकुमार शुक्ला, निवासी ग्राम मौहारी
कटरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना ₹५०४०/-

अनावेदकगण

अनुचिभागीय अधिकारी रघुराजनार, जिला
सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक १४२/अपील/
२०११-१२ में पारित आवेदा दिनांक २२/३/
२०१२ तथा जो रही अंकेयानिकार्यवा-
दियो के बिल्द निरानी पायिथा, अनागति
धारा ५० मूराजस्व मुंहिता।

मा.न्यवर,

निरानी के आधार :-

आवेदक का विनाम निवेदन नीये लिखे अनुमार है:-

- 1- प्रकरण के तथ्य सुनिश्चित में इस प्रकार हैं कि अनुचिभागीय

1/2/1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ-आ

क्रमांक R1197-V/12

जिला-सतना

अयोध्या पटेल/ लालजी शुक्ला वगैर

(1)	(2)	(3)
०५/४/१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 142/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपात्र संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p> <p style="text-align: left;">मा।</p>	